रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2001/वैशाख 4, 1923
No. 199] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2001/VAISAKHA 4, 1923

CENTRAL LIBRARY

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2001

सा.का.नि. 287(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुरगांव पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी गृह निर्माण अग्रिम की मंजूरी संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1973 में संशोधन।

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 28वां) की धारा 124 (1) और (2) के साथ पठित धारा-28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन का न्यासी मण्डल इसके द्वारा मुरगांव पत्तन कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. (i) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी) (संशोधन) विनियम,2001 कहा जाए।

(ii) यह विनियम उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख को केन्द्र सरकार का अनुमोदन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।

2. मूल विनियमों के विनियम- 3 में मौजूदा उप विनियम (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:

क) बनाए अथवा खरीदे जानेवाले मकान की लागत (जिसमें आवासीय प्लाट की लागत शामिल नहीं है) अधोलिखित से अधिक न हो :-

i) (मूल वेतन + एनपीए + अवरुद्ध वेतनवृद्धि) के 150 गुना से अधिक न हो और न्यूनतम 1.50 लाख रुपये तथा अधिकतम 18.00 लाख रुपए के अधीन हो ।

आवेदक किसी भी अन्य सरकारी स्त्रोत से अर्थात्, पुनर्वास विभाग अथवा जीवन बीमा निगम अथवा केन्द्रीय या राज्य आवासीय योजना से मकान को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का ऋण या अग्रिम नहीं लिया गया हो । तथापि, ऐसे मामले में जहां आवेदक द्वारा ऋण या अग्रिम से ली गई राशि इन विनियमों के तहत ग्राह्य रकम से अधिक नही है, तो इन विनियमों के तहत इस शर्त के अधीन उसे अग्रिम दी जाएगी यदि वह लिखित वचन देता है कि बकाया ऋण अग्रिम आदि के साथ इस पर ब्याज को वह संबंधित मंत्रालय/विभाग को एकमुश्त में राशि वापस करता है ।

ऐसा मामला जिसमें कर्मचारी मकान अथवा आवासीय प्लाट का निर्माण/प्राप्त करने के लिए भविष्य निधि खाते से अंतिम निकासी के लिए आवेदन करता है (अथवा किया है), तो इन विनियमों के अधीन अग्रिम की मंजूरी के साथ साथ भविष्य निधि से ली गई रकम कर्मचारी के मूल वेतन से 150 गुना से अधिक न हो और न्यूनतम 1.50 लाख रुपए तथा अधिकतम 18.00 लाख रुपए के अधीन हो ।

3. मूल विनियमों के विनियम-5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :-

विनियम. 5 : <u>अग्रिम की रकम</u>

क) इन विनियमों के तहत कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा में एक से अधिक अग्रिम की मंजूरी नहीं की जाएगी ।

ख) मंजूर अग्रिम की रकम निम्नलिखित में से जो कम है वह होगी ।

1) प्रस्तावित निर्माण की लागत

2) (मूल वेतन + एनपीए + अवरुद्ध वेतनवृद्धि) का 50 गुना से अधिक अथवा

3) 7.50 लाख रुपए से अधिक नहीं अथवा

4) नीचे दिए गए धन वापसी की क्षमता के आधार पर :

क)	20 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के मामले में	मूल वेतन का 35% + अवरुद्ध वेतनवृद्धि + एनपीए

ख)	10 वर्ष के बाद किन्तु 20 वर्ष से अनाधिक वर्षों में सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के मामले में	मूल वेतन के 40% तक + अवरुद्ध वेतनवृद्धि + एनपीए + डीसीआरजी का 65%
ग)	10 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के मामले में	मूल वेतन का 50% + अवरुद्ध वेतनवृद्धि + एनपीए + डीसीआरजी का 75%

अग्रिम का औचित्य देते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मकान का नक्शा, विस्तृत विनिर्देशन और आकलन के आधार पर वास्तव में अग्रिम की कितनी रकम मंजूर की जा सकती है इसका निर्धारण मण्डल का मुख्य अभियंता करेगा और ऊपर निर्धारित अधिकतम रकम के भीतर निर्माण/खरीद की अनुमानित लागत तक इसे सीमित किया जाएगा तथा यह भी शर्त होगी कि ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने के मामले में मकान बनाने की वास्तविक लागत अथवा आवास को घटाने की वास्तविक लागत की 80 प्रतिशत से अधिक रकम मंजूर नहीं की जाएगी । अग्रिम की रकम को आगे इस रकम तक सीमित किया जाएगा जिसे कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख से पहले उस पर लागू सेवा विनियमों के अनुसार ग्रेच्युटी से पहले मृत्यु सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी से तथा अपने वेतन से सुविधाजनक मासिक किश्तों में आंशिक रुप से अदा कर सकता है ।

इसकी गणना के लिए यह माना जाएगा कि मण्डल द्वारा अग्रिम के अनुमोदन की तारीख के एक वर्ष के बाद से अग्रिम की वापसी कर्मचारी करेगा ।

[फा. सं. पी. आर. 12016/12/99/पी. ई.-I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद-टिप्पणी मूल विनियम पत्र सं.7-पीई (270)/70 दिनांक 21/8/70 के तहत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए ।

बाद के संशोधन :- 1) सा.का. नि. सं. 828(अ) दिनांक 03/6/86
2) सा.का. नि. सं. 363(अ) दिनांक 27/4/95
3) सा.का. नि. सं. 24(अ) दिनांक 09/1/98

MINISTRY OF SHIPPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2001

G.S.R. 287(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Trust Employees' (Grant of Advance for Building of Houses) Amendment Regulation, 2001 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao Port Trust and set out in the schedule annexed to this notification

2 The said Regulations shall come in to force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Amendment to Mormugao Port Employees' (Grant of Advances for Building of Houses) Regulations 1973.

In exercise of powers conferred by Section 28 read with Section 124(1) & (2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby make the following Regulations further to amend the Mormugao Port Employees' (Grant of Advances for Building of Houses) Regulations, 1973 namely:

1. (i) These regulations may be called the Mormugao Port Employees' (Grant of Advances for Building of Houses) (Amendment) Regulations, 2001

   (ii) They shall come into force with effect from the date on which the approval of Central Govt. is published in the Gazette of India.

2. In Regulation 3 of the Principal Regulations, substitute the existing Sub-Regulations (a) by the following:

   a) The cost of house to be built or purchased (excluding the cost of residential plot) should not exceed as below:

   i) 150 times of (B.Pay + NPA + Stagnation Increment) subject to minimum of Rs. 1.50 lakhs and maximum of Rs. 18.00 lakhs.

The applicant should not have availed of any loan or advance for the acquisition of a house from any other Government sources e.g. the Department of Rehabilitation or Life Insurance Corporation or a Central or State Housing Scheme. Where, however the loan advance, etc already availed by an applicant does not exceed the amount admissible under these regulations, it would be open to him to apply for the advance under these regulations on the condition that the employee undertakes to repay

the outstanding loan advances. etc., together with interest if any thereon forthwith in one lump sum to the Ministry/Department concerned.

In case where an employee make (or had made) a final withdrawal from his Provident Fund Account in connection with construction/ acquisition of a house or a residential plot, in addition to availing of an advance sanctioned under these Regulations and that withdrawal from the Provident Fund, should not exceed 150 times the basic pay of the employee subject to a minimum of Rs. 1.50 lakhs and maximum of Rs. 18.00 lakhs.

3. Substitute Regulation 5 of Principal Regulations by the following:

Reg. 5: Amount of Advance:

a) Not more than one advance shall be sanctioned under these regulations to an employee during his/her entire service.

b) The quantum of advance sanctioned shall be least of the following.

1) Cost of the proposed construction.

2) 50 times of (B.Pay + NPA + Stagnation Increment) or

3) Maximum of Rs. 7.50 lakhs or

4) On the basis of repaying capacity as under.

a) In case of officials retiring after 20 years.	35% of basic pay + stagnation Increment + NPA.
b) In the case of officials retiring after 10 years but not more than 20 years.	Upto 40% of Basic Pay + Stagnation Increment + NPA +65% of DCRG.
c) In the case of officials retiring within 10 yrs.	Upto 50% of Basic Pay + Stagnation Increment + NPA + 75% of DCRG.

1287 GI/2011-2

The actual amount of advance to be sanctioned will be determined by the Chief Engineer of the Board on the basis of his detailed specifications and estimates to be furnished by applicants justifying the amount of advance applied for, and shall be restricted to the estimated cost of construction/purchase within the ceiling amount prescribed above and subject to the further condition that, in the case of construction in rural area, the amount of the advance, will in no case, exceed 80 per cent of the true cost of construction of the house or true cost of enlarging living accommodation. The amount of an advance will further be restricted to the amount which an employee can repay partly from his gratuity/death-cum-retirement gratuity and partly by convenient monthly deductions from his pay, before the date of his superannuation, according to Service Regulations applicable to him.

For the purpose of this calculations, it will be assumed that an employee can generally commence repayment of the advance the year after the date of approval of the advance by the Board.

[F No. PR-12016/12/99-PE-I]

K V RAO, Jt Secy

Foot-Note: Principal Regulations were approved by the Ministry vide Letter No. 7-PE(270)/70 dt. 21/8/1970.

Subsequent Amendments: 1) GSR No. 828(E) dt. 03/6/86
2) GSR No. 363(E) dt. 27/4/95
3) GSR No. 24(E) dt. 09/1/98

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054